



HAMIRPUR POLICE



METICULOUS INVESTIGATION & PROSECUTION

“एनडीपीएस एक्ट के हिस्ट्रीशीटर अभियुक्त को 01 वर्ष 01 माह के कठोर कारावास व ₹1,000 के अर्थदंड की सजा।”



श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश के निर्देश पर चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विकशन अभियान के दृष्टिगत जनपद पुलिस द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना व मा0 न्यायालय में समयबद्ध रूप से साक्षियों का साक्ष्य कराकर, सार्थक पैरवी के फलस्वरूप, थाना राठ में पंजीकृत मु0अ0सं0-203/2019 धारा 8बी/20 एनडीपीएस एक्ट में सजा दिलाई गई।

उक्त अभियोग में मा0 न्यायालय एनडीपीएस एक्ट कोर्ट जनपद हमीरपुर द्वारा दोषसिद्ध पाये जाने पर हिस्ट्रीशीटर अभियुक्त मुन्नू यादव पुत्र कल्लू यादव निवासी ग्राम गल्हिया थाना राठ जनपद हमीरपुर को दोषसिद्ध करते हुए 01 वर्ष 01 माह के कठोर कारावास व ₹1,000 के अर्थदंड से दण्डित किया गया।



एडीजीसी
प्रवीण कुमार भदौरिया



विवेचक-
उ0नि0 सुरजीत
कुमार



पैरोकार
थाना- राठ
का0 सर्वज्ञ सिंहा